सुमित्रा आदि बनाम गुरमीतसिंह आदि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(1)

— निर्णय —

प्रार्थिया सुमित्रादेवी पत्नी सिद्धपाल जाति खटीक सा० वार्ड नं० 18 पीलीबंगा ने एक प्रार्थना-पत्र अप्रार्थीगण गुरमीत सिंह व अन्य के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 251 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 11-8-2021 को पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम तहसील पीलीबंगा मे निम्न प्रकार से कृषि भूमि है :-

प्रार्थिया सुमित्रादेवी

चक 5 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या 97/70 प०नं० 36/277 (20) कि०नं० 13/2, 18/2, 19 ता 22, 23/2 कुल 1.265 है० कमाण्ड खातेदारी

प्रार्थिया सन्तोषदेवी

चक 5 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या 91/66 प०नं० 36/277 (20) कि०नं० 13/1, 14, 17, 18/1, 19, 23/1, 24 कुल 1.265 है० कमाण्ड खातेदारी

अप्रार्थीया परमजीतकौर

चक 5 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या 39/70 प०नं० 36/278 (25) कि०नं० 3, 4, 7, 8, 13, 18 कुल 1.518 है० कमाण्ड खातेदारी

गुरमीत सिंह आदि अप्रार्थीगण

चक 5 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या 57/37 प०नं० 36/277 (20) कि०नं० 25 कुल [illegible], प०नं० [illegible]8 (25) कि०नं० 5, 6, 14 ता 17, 23 ता 25 कुल 2.2[illegible] है० [illegible] कमाण्ड मय खाला खातेदारी [illegible] कि०नं० 24, 25 कुल 0.506 है० अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी, प०नं० 33/277 (19) कि०नं० 1 ता 9, 21 ता 25 कुल 3.542 है०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:50:58 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 19.01.2022

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अनकमाण्ड मय रास्ता खातेदारी, प.नं. 37/278 (26) कि.नं. 1ता5 कुल 1.265 है० अनकमाण्ड मय रास्ता खातेदारी। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न की गई है।

उक्त भूमि मे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे जाने के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं है। रास्ता चक 5 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 37/278 के कि.नं. 1ता5 मे स्वीकृत है जिसके आगे प्रार्थीगण की भूमि मे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि मे जाने के लिए चक 5 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 36/278 (25) के कि.नं. 3 ता 5 मे रास्ता लिया हुआ है, जो राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करवाना चाहते है। खातेदार गुरमीत सिंह आदि से उनकी कब्जा काश्त की चक 5 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 36/278 (25) कि.नं. 5 मे 0.025 है० से रास्ता लिया हुआ है तथा अप्रार्थी परमजीतकौर से चक 5 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 36/278 (25) कि.नं. 3/0.025 है० व 4/0.025 है० रास्ता लिया हुआ है, राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद करवाना चाहते है।

प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि चक 5 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 36/278 (25) कि.नं. 3,4,5 प्रत्येक मे 0.025 है० रास्ता स्वीकृत करें। राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन का आदेश फरमावे।

दिनांक 2/10/2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर लोंगवाला मे प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण हाजिर आये। आपसी राजीनामा इस कदर पेश किया कि हम अप्रार्थीगण संख्या 1ता5, 8 की कब्जा काश्त की भूमि चक 5 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 36/278 (25) कि.नं. 3 मे 0.025 है, 4 मे 0.025 है० कि.नं. 5 मे 0.025 हैक्टेयर [illegible] प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 10 ता 13 मे रास्ता लिया हुआ है जो राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त रूप से [illegible] चाहते है अगर रास्ता मंजूर किया जाता है तो हमे कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:50:58 IST
Reason: SelfAttested

19.01.2022
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) पीलीबंगा
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(3)

एतराज नहीं होगा। इस प्रकार से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 10 ता 13 के नाम रास्ता स्वीकृत कर हम प्रार्थीगण सं० 1 ता 5 की भूमि को इस हद तक कम करते हुए रास्ता अंकन किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से Adv. संजीव आहूजा हाजिर आये और वकालतनामा पेश कर अप्रार्थीगण की पहचान की। प्रार्थीगण की पहचान Adv. सोहनलाल सुथार द्वारा की गई। उभय पक्ष की पहचान साबित होने और राजीनामा पर दोनों पक्षों की सहमति होने के कारण राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वर्णित तथ्यों की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा से तलब की गई। तहसीलदार पीलीबंगा ने अपने पत्र संख्या राजस्व/2021/3026 दिनांक 30/12/2021 से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता चक 5 एलजीडब्ल्यू के प नं० 36/278(25) कि० नं० 3,4,5 प्रत्येक किला मे 0.025 है० मौका पर रास्ता चल रहा है। इसमें से कि० नं० 3 व 4 परमजीतकौर के नाम दर्ज है तथा कि० नं० 5 संयुक्त खाता सेवासिंह, हरदेवसिंह, मिट्ठुसिंह, गुरमीत सिंह, मनिन्द्र सिंह पि० बंसी सिंह वाहिद खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खातों के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा पूर्व मे कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा प्रार्थी की भूमि को कोई अन्य रास्ता (जो कम दूरी का हो) नहीं [illegible] प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा [illegible] वैकल्पिक रास्ता जो मौके [illegible]

तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त [illegible] रिपोर्ट का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:50:58 IST
Reason: SelfAttested

19.01.2022
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) पीलीबंगा
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अवलोकन किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज, आपसी राजीनामा तथा रा० का० सं० के प्रावधान तथा बहस मे पेश किये गये तर्को के आधार पर हम प्रार्थीपक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित मानते है।

प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि चक 5 एलजीडब्ल्यू के प० नं० 36/278 (25) के कि नं० 3-4-5 प्रत्येक मे 0.025 है० रास्ता (गै०मु०) स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेश दिये जाते है कि किसी न्यायालय मे वाद विचाराधीन ना हो तो राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.01.2022

उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) पीलीबंगा
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:50:58 IST
Reason: SelfAttested